ference which was held and if any of the recommendations of that conference have been implemented by the government?

Shri Shahnawaz Khan: Sir, the earlier conference was held at Tokyo three years before. The minutes and also as to what was implemented and all that will be known when we receive the details of the proceedings.

Shri M. R. Krishna: Even after one year, Sir, they have not implemented any of the recommendations. It is very strange.

Mr. Speaker: What can I do?

Shri Kapur Singh: Sir, in reply to part (a) of the question the hon. Minister said that the formal minutes of his Conference had not yet been received. Therefore, he said, in reply to parts (b) and (c) "Do not arise". Surely, the question does not want to have the official minutes of the conference. The only thing asked was the conclusions and recommendations which are within the knowledge of the Government. Why cannot the Government make us know as to what substantially the recommendations and the conclusions of the Conference are? Why are they being withheld?

Shri Jagjivan Ram: Sir, it is very simple. It is an internatioal body. The Conference was held under the aegis of that international organisation. Unless we get the proceedings of the Conference from the source, it is very difficult to disclose what was done there and what was not done there. That will not be an authorised version of the whole thing. It was not a Government of India's show, it was an international conference.

Shri Kapur Singh: The conclusions and recommendations cannot be changed in the official version.

Mr. Speaker: Let us go to the next Question.

कर्मचारियों की भविष्य निधि को पेंशन में बदलना

*418. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री ग्र० ना० विद्यालंकार :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्मचारियों की भविष्य निधि के कुछ भाग को पेंशन में बदलने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी

श्रमिकों के लिए जो कर्मचारी निर्वाह निधि और कोयला खान निर्वाह निधि के सदस्य हैं, सेवानिवृत्ति/परिवार पैंशन योजना तैयार करने हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री यशपाल सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् । सरकार हर एक सवाल को बातों में टाल देना चाहती है तो क्या इसीलिए कन्वर्शन के बजाय कनवर्सेशन छप गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे में दुरुस्त कर दिया गया है । आप भी जरा दुरुस्त कर लें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह भविष्य निधि 30 वर्ष के आसपास एक मजदूर की होती है तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आज से 30 वर्ष पहले यानी 1933 में जिस मजदूर ने भविष्य निधि में 1 रुपया दिया था उसकी कीमत आज कितनी रह गई ?

श्री शाहनवाज खां : यह कोइ आंकड़े मैंने वर्क आउट नहीं किये हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब इस पर तो मुझे कुछ थोड़ा सा अपने मन की बात कहने दीजिये । यह काहे के लिए वहां बैठे हुए हैं ? अगर यह बिलकुल बुनियादी चीज नहीं जानते कि 1 रुपये की कीमत जो 1933 में थी वह आज कितनी रह गई है तो फिर किस लिए सरकार चला रहे हैं ? अब अध्यक्ष महोदय, कभी कुछ तो आप हम लोगों के ऊपर भी कृपा करेंगे या सारी उदारता उधर ही दिखाते रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, मैं तो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तयार हूं । मगर जहां मेरे वश की बात न हो वहां मझे भी आप करेंगे । आप इतने ऊंचे सवाल उठाते हैं छोटे से सप्लीमेंट्री में . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : यह ऊंचा सवाल आप बताते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत बड़ा सवाल है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह तो बिलकुल आधार है, नीचे से नीचे पाताल की चीज है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप और सवाल करिये । वह कहते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है ।

Shri Kapur Singh: Sir, the question is of the highest importance and it should be answered.

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): Mr. Speaker, Sir, hon. Members are to seek information. The hon. Member has put a question as to what is the present value of the rupee. This he can find in several publications of the Government of India and he can enlighten himself on that point.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, यह न सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि यह तो दम्भ और घमंड है जो कि मंत्री को यहां दिखाना नहीं चाहिए । मैं भविष्य निधि के बारे में सवाल पूछ रह हूं । मजदूर के जो पैसा उसने दिया है वह आज उसको कितना मिल रहा है ? अगर उसने एक रुपया दिया है तो उसको तीन आने मिल रहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आप ने सवाल किया । उन्होंने कहा कि इसका जवाब हमारे पास इस वक्त नहीं है । अब आप दूसरा सवाल करिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह ठीक है । लेकिन देखिये तो, किस तरह से त्यौरियां चढ़ जाती हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जितना दिया था और जो रुपया

के मुताबिक है, उन्हीं रूल्स के मुताबिक मिलेगा । कोइ इस किस्म की लिविंग इन्डेक्स क्या है वह इसमें नहीं आयेगा ।

Shri Kapur Singh: There should be a limit to the flippancy of the Government.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि एक रुपया जो मजदूर का है आज उस रुपये की कीमत कितनी रह गई है, यह सवाल है ।

तो इसका जवाब नहीं है उनके पास । आप दूसरा सवाल करिये ।

Shri Hem Barua: May I ask for a clarification from him? The hon. Minister has stated that the reply to the supplementary question is available in so many Government publications. If that is available in the Government publications, what is the harm if the hon. Minister discloses it on the floor of the House for the benefit of mentally retarded people like us?

श्री मधु लिमये: किसी सरकारी प्रकाशन का वह नाम बतायें । यह कहना काफी नहीं है कि सरकारी प्रकाशनों में है ।

Mr. Speaker: They cannot carry in their memory all the information contained in Government publications.

डाक्टर साहब, दूसरा सवाल करिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जिस मजदूर ने अपनी भविष्य निधि में उदाहरण के लिए अब तक अपनी तनख्वाह में से 5 हजार रुपये दिया है, जब वह काम छोड़ेगा तो उसका असली मूल्य के हिसाब से कितने रुपये मिलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अब यह तो काउंट करने की और कम्प्यूट करने की चीज है . . . (व्यवधान) . . . यह मैं कैसे कहूं कि कागज और पेंसिल लीजिये और हिसाब करके बताइये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तो फिर मैं **खाली** अपनी राय बता देता हूं कि यह मजदूरों का लूट हो रहा है । मजदूरों से पांच हजार रुपये लेकर के जब वह काम छोड़ेंगे तो उनको केवल 1 हजार रुपये देते हैं । इस तरह से मजदूरों का लूट चल रहा है इस भविष्य निधि के नाम पर ।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो तरीका इस भविष्य निधि का है उसके अन्दर यह है कि जो पैसा लिया जाता है उस वक्त और जब पैसा दिया जाता है उसके बीच में जो पैसे की कीमत गिरने से अंतर होता है उसके मुताबिक उसको पैसा नहीं दिया जाता है तो क्या सरकार जो इस पैसे की कीमत गिरने से मजदूर को घाटा पड़ता है उस घाटे की रोकथाम करने का विचार कर रही है और यदि कर रही है तो क्या और किस तरह ?

श्री जगजीवन राम : अब यह तो प्राविडेंट फंड ऐक्ट के हिसाब से चलता है । जिस मजदूर का जितना रुपया जमा होता है और एम्प्लायर का जमा होता है दोनों के ऊपर सूद मिला कर के . . .

अध्यक्ष महोदय : उन का कहना यह है कि . . .

श्री जगजीवन राम : मैं उस पर भी अभी आ जाता हूं । तो उसका सूद मिलाकर के जितना टोटल रुपया होता है वह दिया जाता है । लेकिन यह ऐक्ट में नहीं प्रोवाइड किया गया है कि हर वक्त रुपये का असली वैल्यू क्या है वह कैलकुलेट करके उस हिसाब से मजदूर को दिया जाय । यह कहीं नहीं किया जा रहा है और यहां भी नहीं हो रहा है ।

श्री किशन पटनायक : क्योंकि इस सवाल के कारण सरकार द्वारा मजदूर के लूट के बारे में काफी रोशनी आ गई है, क्या सरकार अगले दो महीने के अन्दर

इसका हिसाब लगायेगी कि कुल मजदूरों का कितना रुपया नुकसान जाता है । रुपये का मूल्य घटने के कारण और उस पृष्ठभूमि में प्राविडेंट फंड रूल्स में संशोधन करने का विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं ।

श्री किशन पटनायक : क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अब यह क्यों नहीं का क्या सवाल है ?

Shri D. C. Sharma: I learn from the hon. Minister that a Working Group has been established. Who are the members of the Working Group, what are the items of work that have been entrusted to them and when are they supposed to complete their work?

Shri Shahnawaz Khan: The members of the Working Group are Shri D. C. Das, Secretary to the Government of India, Department of Social Security, Shri N. N. Chatterjee, Shri B. N. Datar, Shri Naidu and a number of other officers. The terms of reference are: to conduct actuarial investigations of the financial implications of the Family pension Fund covering all members of the Employees provident Fund and Coal Mines Provident Fund; to investigate whether a fund created out of the difference between the old rate of 6¼ per cent and the enchanced rate of 8 per cent. that is, 3¼ per cent of the wages, will be adequate for meeting the requirements of the family pension as also for ensuring sizable survival benefits; and a number of others.

Shri D. C. Sharma: I wanted to know by what time they are supposed to complete this enquiry.

Shri Shahnawaz Khan: We are hoping to receive the report by the end of this year.

श्री म० ला० द्विवेदी : भविष्य निधि का कौन सा अंश पेंशन में सम्मिलित किया जाय, ऐसा क्या कोई सुझाव था यदि हां तो वह कितने अंश के लिए था और यदि उस पर विचार किया गया ह तो क्या किया गया ?

श्री शाहनवाज खां : ये सब बातें जेरेगौर हैं और जिस वक्त कमेटी . . .

श्री म० ला० द्विवेदी : मैंने यह जानना चाहा था कि कितने अंश का सुझाव दिया गया था ?

श्री शाहनवाज खां : मैंने अर्ज किया है कि जो पुराना रेट था सवा छः फी सदी का और जो आठ का था उस के डिफरेंस को ले कर एक फण्ड बनाने के बारे में देखा जायेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : कर्मचारियों की भविष्य निधि को उनके पेंशन में बदलने के बारे में कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद क्या सरकार इस चीज को सिद्धांतः हर एक उद्योग में लागू करना चाहेगी या सिर्फ उद्योग विशेष में ही इसे लागू किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : फिलहाल इरादा यह है कि जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, जो कि कोल माइंस के तहत आते हैं पहले उन्हीं पर इस स्कीम को लागू करने का इरादा है, उसके बाद फिर देखा जायेगा कि आगे इसे और कहां कहां एक्सटैंड किया जा सकता है ।

Shri S. C. Samanta: May I know whether on the recommendations of this Committee a final decision will be taken by this Ministry or it will be referred to the Finance Ministry also?

Shri Shahnawaz Khan: Naturally, in this matter which concern more than one ministry a co-ordinated decision wil have to be taken.

Shri Subodh Hansda: May I know whether the working group will only go into the question of underground workers, that is, coalmine workers, or it will also go into other workers?

Shri Shahnawaz Khan: At present only the workers who will be covered by this.

श्री मधु लिमये : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि 1947 और 1957 के बीच में जो सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं और जिनकी कि उम्र बहुत ज्यादा है, रुपये का मूल्य घटने के कारण उन का प्रावीडेंट फंड सारा खतम हो चुका है ? क्या उन बूढ़े सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार कोई एक पेंशन की योजना बनायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह सरकारी कर्मचारियों का नहीं है, बल्कि यह इंडस्ट्रीयल वर्कर्स के बारे में है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि जो ओल्ड एज पेंशन की स्कीम है, सरकार उस पर भी गौर कर रही है ।

Shrimati Savitri Nigam: What are the aims and objects which have motivated this Ministry to form this committee and is any concrete benefit going to be given to the family members of workers?

Shri Shahnawaz Khan: Yes, Sir; that is precisely the motive. There was a conflict of views whether provident fund is better or whether family pension is better. The International Labour Organisation and other conferences are of the view that it will be better to give pensions because it provides a greater measure of insurance and secruity.

श्री विश्राम प्रसाद : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि कानून में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है और जैसे कि अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि एक रुपये की कीमत अब घट कर 17 पैसे हो गई है, तो उसको देखते हुए क्या सरकार उस प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट में कोई इजाफ़ा करने जा रही है, यदि हां, तो कितना और कैसे ?

श्री जगजीवन राम : यह तो कह दिया कि इस कानून में संशोधन करने का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन सदस्य महोदय को मालूम होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज (उद्योग) में और सरकार में काम करने वालों के जब जब रियल वेजेज कम होती हैं तो उसको महंगाई भत्ता देकर या अन्य रूपों में देकर कुछ अंश में पूरा करने का यत्न किया जाता ह ।

श्री राम हरख यादव : सरकार ने यह जो स्कीम बनाई है प्रोवीडेंड फंड की और पेंशन की तो यह सारे कारखानों में काम करने वाले लोगों पर और सारे जो सरकारी मुलाजिम हैं, उन पर इसको लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है ?

श्री शाहनवाज खां : यह जवाब दे दिया गया है ।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सवाल का नोटिस दिया था और सवाल पूछने के लिए तीन दफे खड़ा भी हुआ लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसी बात है तो आप सवाल कर लीजिये ।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ जाहिर नहीं किया है कि इस मद में कुल कितना रुपया सरकार के पास है और कितना मिल मालिकों की तरफ बाकी है ।

श्री शाहनवाज खां : यह तो प्रोविडेंट फंड के बारे में आप पूछ रहे हैं । सवाल बहुत साफ नहीं है, कौन सा रुपया ?

श्री यशपाल सिंह : प्रोविडेंट फंड मद का जो रुपया है, वह कितना मिल मालिकों की तरफ अभी बाकी है और कितना सरकार कुल उस खाते में रुपया रखती है ?

श्री शाहनवाज खां : जो टोटल इनवैस्टमेंट है प्रोवेडेंट फंड में वह लगभग 550 करोड़ है,

क्योंकि मिल मालिकों ने प्राविडेंट फंड का रुपया अभी तक अदा नहीं किया है, इसलिए सरकार कानूनी तौर पर उनसे हासिल कर रही है और मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि सरकार ने कुछ ऐसे मिल मालिकों को जिन्होंने कि पैसा अदा नहीं किया है उनको अदालतों में प्रासीक्यूट कर रही है ।

Rules and conditions of Detention of Political Detenus

+

*419. **Shri Warior:**
Shri Indrajit Gupta:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Prabhat Kar:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether uniform rules and conditions of detention have been made for political detenus detained under the D.I.R.;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). There is no class of detenus classified as "political detenus". It is primarily for the State Governments to determine the conditions of detention. However, the Central Government have recently made certain suggestions with a view to ensuring a measure of uniformity in the conditions of detention obtaining in the various States in respect of those detained for security reasons. These suggestions relate to the classification, clothing, interviews and correspondence and other facilities and amenities to be given to detenus in jails.

Shri Warior: Recently, we understand that the political detenus—whether there is any classification or not, everybody knows who is a political detenu—have classified as Class A detenus and, if so, is it the same in all States?

Shri Vidya Charan Shukla: The question of classification of security detenus was considered and the Central Government advised the State Governments to classify these into two classes only, if possible.

Shri Warior: May I know whether in the case of family allowances paid to the detenus, the Central Government has suggested that there should be a uniform rate and that the Central Government will go to the help of the States if funds are required by the States?

Shri Vidya Charan Shukla: The Central Government suggested to the various States that as far as possible there should be uniformity in the rate of family allowance that is given to security detenus and we have suggested that, as far as possible, the minimum family allowance to be given should be Rs. 50 per month.

Shri Indrajit Gupta: In view of the very wide discrepancy which exists from State to State in the facilities given to detenus under the D.I.R. and the fact that a large number of hunger-strikes have taken place inside jails for the redress of unsatisfactory conditions, may I know why, in spite of the fact that detentions have been going on for over three years, the Central Government has never thought it fit to exercise its powers under article 353 of the Constitution to give directives so that uniform conditions are brought about in all the States?

Shri Vidya Charan Shukla: This kind of directive was not necessary. There were some differences in the conditions but the Central Government wrote a letter to the State Governments and suggested certain uniformity.

Shri Indrajit Gupta: When?

Shri Vidya Charan Shukla: That was done first in 1962 and again it was done later on, after the Attorney General brought this matter to the notice of the Central Government and again a circular was sent. Now